

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी.3 सी, 244,245, हाउसिंग बोर्ड कालोनी नया रायपुर

अधिसूचना

दिनांक 31/01/2017

क्रमांक.....4.6..... भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना " नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना" में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचना/आदेश को शिथिल करते हुये निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है ।

(3) नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना :-

(अ) योजना का प्रावधान :-

- (i) योजना का नाम छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना होगा।
- (ii) योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक के प्रथम दो बच्चों को ही योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा,
- (iii) प्रत्येक कक्षा व पाठ्यक्रम के समक्ष उल्लेखित "छात्रवृत्ति" राशि एक मुश्त देय होगी।

क्र०	कक्षावार विवरण	वार्षिक छात्रवृत्ति राशि	
		छात्र	छात्रा
1.	कक्षा 1 से 5 तक	1000	1500
2.	कक्षा 6 वीं से 8 वीं	1500	2000
3.	9 वीं से 12 वीं	2000	3000
4.	स्नातक कक्षा जैसे बी०ए०/बी०एस०सी०/बी०कॉम/आई टी आई डिप्लोमा आदि	3000	4000
5.	स्नातकोत्तर कक्षा जैसे एम०ए०/एम०एस०सी०/एम०कॉम०/स्नातकोत्तर डिप्लोमा आदि	5000	6000
6.	स्नातक स्तर की व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने पर	6000	8000
7.	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में अध्ययन, पी०एच०डी० या शोध कार्य करने पर	8000	10000

4
A

(iv) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता :-

(i) योजना के लाभ हेतु अंको की बाध्यता नहीं होगी।

(ii) यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात् इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की उस पाठ्यक्रम में न्यूनतम एक वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी, एक वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी।

(iii) ऐसा मेधावी छात्र/छात्रा यदि अन्य शासकीय विभाग/संस्था की किसी योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने की पात्रता रखता है तो वह किसी एक योजना का चयन कर सकता है, जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद हो, किन्तु किसी भी परिस्थिति में वह दो योजनाओं का एक साथ लाभ नहीं उठा सकता है।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

(i) योजना के अंतर्गत पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा ऑन लाईन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किये जावेगे।

(द) स्वीकृति का अधिकार :-

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक, श्रम उप निरीक्षक को होगा।

(ई) भुगतान की प्रक्रिया :-

(i) योजना के स्वीकृति पश्चात् हितग्राही अथवा उनके पुत्र/पुत्रियों के खातों में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से राशि स्थानांतरित की जावेगी।

(फ) अन्य विवरण :-

- (i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

उपरोक्त अधिसूचना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी ।
(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

पृ0क0 / / 2136 - 2144
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 31/01/17

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
6. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी (छ0ग0)
8. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (छ0ग0)
9. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल